

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प आरणी

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी आरणी
व भू.अ.नि. राशमी को रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी / नायब
तहसीलदार आरणी की अनुज्ञा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आरणी तहसील राशमी व
जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 955 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>आरणी</u>	<u>955</u>	<u>रतनलाल फत्कपुत्र अण्डाई</u>	<u>रतनलाल फत्कपुत्र अण्डाई पुत्र मोरीलाल ब्राह्मण</u>

राशमी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी

क्रमांक:- 364/2021
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/21

1. तहसीलदार राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री रतनलाल फत्कपुत्र अण्डाई पुत्र मोरीलाल ब्राह्मण को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

राशमी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

